2018/00406

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :- सत्यवीर यादव, आर. ए. एस.

प्रकरण संख्या 45/2018

प्रचलित रास्ता चक 83 आर बी को स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल-दरामद करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251क

दिनांकः-29.06.2018

-: निर्णय :-

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत रायसिंहनगर मे तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र कमांक/499 दिनांक 28.06.2018 को अवगत करवाया है कि वाके चक 83 आर बी के प.न. 232/259 मु.न. 42 के कि.न. 1/2-2-3-4-5/ 0.125है0 भूमि व प.न. 231/268 मु.न. 28 के कि.न. 21/ 0.025 है0 व प.न. 231/268 मु.न. 28 के 22 ता 25 /0.100है0 व प.न. 230/269 मु.न. 44 कि.न. 1-10-11-20-21/0.125है0 व प.न. 231/270 मु.न. 46 के कि.न. 5-6-15-16-25/0.125है0 नहरी में प्रचलित रास्ता 30-40 से चल रहा है। रास्ता को कटान बाबत राजस्व अभियान में नक्शे में काटा जाना की अभिशाभां की है। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत कर अमल दरामद किया जावे।

प्रस्ताव दर्ज रजिस्टर किया जावे। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर से मौका एवं जांच रिर्पोट की गयी। तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर ने अपने जांच प्रतिवेदन क्रमांक 499 दिनांक 28.06.2018 के अनुसार

क्र. स.	चक का नाम	प.न./ मु.न. जिनमें रास्ता गुजरता है	कि.न.	रकबा	किस्म भूमि	मुरब्बा वार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है	नाम खातेदार	वि0वि0
1	83 आर बी	232/259 मु.न. 42	कि.न. 1/2-2-3- 4-5	प्रत्येक में .025है.	नहरी	0.125है0	सुखवीरसिहं पुत्र गुरनामसिहं कोम जटसिख सा. देह	
2	„	231/268 मु.न. 28	कि.न. 21	में .025है.	नहरी	0.025है0	जगदेवसिहं पुत्र गुरनामसिहं कोम जटसिख सा. देह	
3	„	231/268 मु.न. 28	कि.न. 22 ता 25	प्रत्येक में .025है.	नहरी	0.100है0	मदन लाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देह	
4	„	230/269 मु.न. 44	कि.न. 1-10-11-20-21	प्रत्येक में 0.025	नहरी	0.125है0	हसंराज पुत्र सुरजाराम , किशनलाल पुत्र सुरजाराम , ,रमेश कुमार पुत्र कृष्णलाल ,दिनेश कुमार, सुभाषचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट सा. देह खातेदार	
5	„	231/270 मु.न. 46)	कि.न. 5-6-15-16-25	प्रत्येक में 0.025 है0	नहरी	0.125है0	दलीपकोर पत्नि जंगीरसिहं वगैरह , कोम मजबी भेराराम पुत्र पुराराम कोम जाट , सरस्वती पत्नि श्योनाथ कोम जाट वगैरह सा. देह खातेदार	

तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उक्त खातेदारान द्वारा काफी पुराने सालों से चल रहे रास्ते को राजस्व अभियान में रास्ता स्वीकृत कर कटान रास्ता का नक्शे में काटे जाने की सिफारिश की है। मौका का फर्द दिनांक 28.06.2018 के अनुसार उक्त रास्ता काफी पुराना

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

चालू पाया गया । किसी भी निवासीगण के द्वारा रास्ते बाबत कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया है।

तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित रकबा में रास्ता मौके पर काफी पुराना चालू है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–2016 के परिपेक्ष्य राजस्व(ग्रुप–6) विभाग राज.जयपुर के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं जिला कलक्टर श्री गंगानगर के पत्र कमांक एफ 12 (11) () राजस्व/16/5758–802 दिनांक16.08.2016 की पालना में उक्त रास्ता काफी पुराना चालू का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है।

अतः उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सहमति पर तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशाषा रिपोर्ट दिनांक 28.06.2018 के द्वारा प्रस्तावित रास्ता चालू पुराना का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाने के आदेश दिये जाते है।

क्र. स.	चक का नाम	प.न./ मु.न. जिनमें रास्ता गुजरता है	कि.न.	रकबा	किस्म भूमि	मुरब्बा वार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा है	नाम खातेदार	विशिष्ट
1	83 आर बी	232/259 मु.न. 42	कि.न. 1/2– 2–3– 4–5	प्रत्येक में .025है.	नहरी	0.125है0	सुखबीरसिंह पुत्र गुरनामसिंह कोम जटसिख सा. देह	
2	,,	231/268 मु.न. 28	कि.न. 21	में .025है.	नहरी	0.025है0	जगदेवसिंह पुत्र गुरनामसिंह कोम जटसिख सा. देह	
3	,,	231/268 मु.न. 28	कि.न. 22 ता 25	प्रत्येक में .025है.	नहरी	0.100है0	मदन लाल पुत्र सुरजाराम जाति जाट सा. देह	
4	,,	230/269 मु.न. 44	कि.न. 1–10–11–20–21	प्रत्येक में 0.025	नहरी	0.125है0	हंसराज पुत्र सुरजाराम, किशनलाल पुत्र सुरजाराम, रमेश कुमार पुत्र कृष्णलाल ,दिनेश कुमार, सुभाषचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट सा. देह खातेदार	
5	,,	231/270 मु.न. 46)	कि.न. 5–6–15–16–25	प्रत्येक में 0.025 है0	नहरी	0.125है0	दलीपकोर पत्नि जंगीरसिंह वगैरह , कोम मजबी मेराराम पुत्र पुराराम कोम जाट , सरस्वती पत्नि श्योनाथ कोम जाट वगैरह सा. देह खातेदार	

इसी आश्य का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज होकर नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प डाबला में मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमा–ए–आम सुनाया गया।

(सत्यवीर ...)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्डाधिकारी(राजस्व)
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner